

केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश, राज्यांश
एवं राज्य स्कीम राशि

3/यो0-28/2017(खण्ड)
बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
स्वीकृत्यादेश
(संख्या /2018-19) 09

पत्र संख्या-

प्रेषक,

संयुक्त निदेशक (मु0),
समाज कल्याण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक - 01-08-2019

विषय:-

समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5533.58 लाख (रु. पचपन करोड़ तैंतीस लाख अठावन हजार), राज्यांश राशि रु. 9500.42 लाख (रु. पंचानवें करोड़ बयालीस हजार) एवं राज्य स्कीम रु. 3143.18 लाख (रु. एकतीस करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार) यानी कुल रु. 18177.18 लाख (रु. एक सौ एकासी करोड़ सतहत्तर लाख अठारह हजार) मात्र के अतिरिक्त व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि समाज कल्याण विभाग के ज्ञापांक-5724 दिनांक-27.11.2017, पत्रांक 2056 दिनांक 15.06.17, पत्रांक 4069 दिनांक 08.12.17 एवं पत्रांक 5781 दिनांक 14.12.2018 के क्रम में राज्य सरकार ने समेकित बाल विकास छत्र योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में स्वीकृत्यादेश संख्या 03 दिनांक 18.04.2018 द्वारा 351538.41 लाख रु (तीन हजार पांच सौ पंद्रह करोड़ अड़तीस लाख एकतालीस हजार रु0) की स्वीकृति दी गयी है। प्रथम अनुपूरक से विभागीय पत्रांक 26 दिनांक 24.08.2018 द्वारा 79719.28 लाख रु० (सात सौ सनतानवे करोड़ उन्नीस लाख अठाइस हजार) की स्वीकृति दी गयी है। द्वितीय अनुपूरक से विभागीय पत्रांक 32 दिनांक 20.12.2018 द्वारा 47743.43 लाख रु० (चार सौ सतहत्तर करोड़ तैंतालीस लाख तैंतालीस हजार) की स्वीकृति दी गयी है। अतिरिक्त राशि की आवश्यकता के आलोक में तृतीय अनुपूरक से ऑगनबाडी सेवाएँ के विभिन्न अवयवों एवं अन्य योजनाओं हेतु केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि रु. 5533.58 लाख (रु. पचपन करोड़ तैंतीस लाख अठावन हजार), राज्यांश राशि रु. 9500.42 लाख (रु. पंचानवें करोड़ बयालीस हजार) एवं राज्य स्कीम रु. 3143.18 लाख (रु. एकतीस करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार) यानी कुल रु. 18177.18 लाख (रु. एक सौ एकासी करोड़ सतहत्तर लाख अठारह हजार) मात्र अतिरिक्त प्रावधानित किया गया है, जिसके व्यय की स्वीकृति निम्न प्रकार प्रदान की है :-

(राशि लाख में)

क्र	योजना का नाम एवं विपत्र कोड	केन्द्रांश/ राज्यांश का अनुपात	विषय शीर्ष	PFMS Code	मूल बजट उपबन्ध
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की केन्द्रांश राशि					
1	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (51-2235021020222)	60:40	0222.02.01	9281	4944.00
2	पूरक पोषाहार (51-2236027890204)	50:50	0204.21.03	9281	589.58
योग:-1 (रु. पचपन करोड़ तैंतीस लाख अठावन हजार)					5533.58
केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम की राज्यांश राशि					
3	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) 2235021020322) (51-	60:40	0322.02.01, 20.03	9281	6491.90
4	मातृत्व लाभ योजना (प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना) (51-2235021030325)	60:40	0325.31.06	9198	2998.13
5	एकीकृत बाल विकास सेवाएँ (आईसीडीएस) (ऑगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण) (51-4235021020308)	75:25/ 60:40	0308.53.01	9281	10.39
योग:-2 (रु. पंचानवें करोड़ बयालीस हजार)					9500.42

-2-

राज्य स्कीम					
6	ऑगनबाड़ी सेवाएँ (आईसीडीएस) (51-2235021020327)	0:100	0327.02.01	9281	3093.18
7	मैनेजमेन्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम (51-2235021020105)	0:100	0105.28.02		50.00
योग:-3 (रु. एकतीस करोड़ तैंतालीस लाख अठारह हजार)					3143.18
कुल (योग 1+2+3) :- (रु. एक सौ एकासी करोड़ सतहत्तर लाख अठारह हजार)					18177.18

- स्वीकृत राशि की निकासी एवं व्ययन हेतु आई.सी.डी.एस. निदेशालय (मुख्यालय) स्तर पर लेखा पदाधिकारी, आई.सी.डी.एस. निदेशालय, जिला स्तर पर सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं परियोजना स्तर पर सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी घोषित हैं।
- उक्त स्वीकृत राशि के विरुद्ध आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा निर्गत आवंटनादेश के आधार पर ही राशि की निकासी एवं व्ययन किया जायेगा। इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु बिहार वित्तीय नियमों का पालन करने की जिम्मेवारी संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की होगी।
- राशि की निकासी एवं व्ययन वित्त विभाग के पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.98, पत्रांक 3758/वि0 दिनांक 31.05.17, पत्रांक 378/वि0 दिनांक 16.01.18, पत्रांक 354/वि0 दिनांक 28.03.18, पत्रांक 662/वि0 दिनांक 02.08.2018, पत्रांक 868/वि0 दिनांक 10.12.2018, पत्रांक 257/वि0 दिनांक 26.02.2019 तथा समय-समय पर निर्गत अन्य अनुदेशों/परिपत्रों के अनुसार किया जायेगा।
- आन्तरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति स्वीकृत्यादेश संचिका संख्या-3/यो0-28/2017(खण्ड) के टिप्पणी पृष्ठ संख्या 15/टि0 पर दिनांक 28.02.2019 को इस शर्त के साथ दी गयी है कि निकासी के 18 माह के अंदर उपयोगिता प्रमाण पत्र महालेखाकार तथा नियंत्री पदाधिकारी को समर्पित किया जायेगा तथा इस राशि का व्यय केवल उसी मद के लिए किया जायेगा जिसके लिए आवंटन प्राप्त है।
- यह चालू योजना है। अतः महालेखाकार, बिहार से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

विश्वासभाजन

(विजय रजन)

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 09

1.01-03-2019/दिनांक-

प्रतिलिपि -महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट शाखा)/ समाज कल्याण विभाग (बजट शाखा)/निदेशक आई.सी.डी.एस., निदेशक, समाज कल्याण निदेशालय, निदेशक, सामाजिक सुरक्षा निदेशालय, निदेशक, दिव्यांगजन सशक्तिकरण निदेशालय/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, आई0सी0डी0एस0 निदेशालय/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारियों को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 09

1.01-03-2019/दिनांक-

प्रतिलिपि -कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/ कोषागार पदाधिकारी, विश्वेश्वरैया भवन, पटना/सभी जिला कोषागार पदाधिकारी/सभी उप कोषागार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

संयुक्त निदेशक (मु0)

जापांक- 3/यो0-28/2017(खण्ड) 09

1.01-03-2019/दिनांक-

प्रतिलिपि - विभागीय आई0टी0 मैनेजर को सूचनार्थ एवं निदेश दिया जाता है कि निर्गत स्वीकृत्यादेश को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (मु0)